

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

दिनांक- 21/8/21

क्रमांक- एक 5(प)(6)एसीटीएडी/माडा/SCA/मं.अनु./2019-20/ 272637-72
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा),
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.),
सवाई माधोपुर।

विषय- विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत सडक निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन से अनुमोदन उपरान्त एवं जिला परिषद, सवाई माधोपुर के पत्रांक- 821 दिनांक 16.08.2021 से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के क्रम में सी.सी. रोड मय नाली निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत

राशि लाख रु.

क्र. सं.	कार्य का नाम	क्षेत्र	तकनीकी स्वीकृति		प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	देय राशि (प्रथम किस्त) 80%
			क्रमांक / दिनांक	राशि		
1	सीसी रोड मय नाली निर्माण कार्य नाथू मीना के मान से रूपचन्द्र मीना की ओर ग्राम व ग्राम पंचायत, भाडौली पंचायत समिति, मलारना डूंगर	माडा	2/12.8.21	10.00	10.00	8.00
2	हीरा मीना मैन रोड से निगोड नदी की ओर नाला व ढकाई कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत, भाडौली पंचायत समिति, मलारना डूंगर	माडा	6/12.8.2021	10.00	10.00	8.00
3	सीसी रोड मय नाली निर्माण भरतलाल मीना के मकान से वार्ड सं. 2 की ओर ग्राम व ग्राम पंचायत, भाडौली पंचायत समिति, मलारना डूंगर	माडा	11/12.3.2021	10.00	10.00	8.00
4	सीसी रोड से गांव की ओर सीसी रोड मय नाली निर्माण (खिरनी रोड) ग्राम व ग्राम पंचायत, भाडौली पंचायत समिति, मलारना डूंगर	माडा	4/12.8.2021	10.00	10.00	8.00
5	रतनलाल मीना के मकान से पृथ्वीराज मीना की ओर नाली निर्माण मय ढकाई सहित ग्राम व ग्राम पंचायत, भाडौली पंचायत समिति, मलारना डूंगर	माडा	5/12.8.2021	10.00	10.00	8.00
6	सीसी रोड मय नाली निर्माण रामस्वरूप मीना से टीकाराम मीना की ओर ग्राम व ग्राम पंचायत, भाडौली पंचायत समिति, मलारना डूंगर	माडा	3/12.8.2021	10.00	10.00	8.00
		योग		60.00	60.00	48.00

उपरोक्त कार्य हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), सवाई माधोपुर को राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति संख्या 68/2020-21 से राशि रु. 48.00 लाख हस्तांतरित की जायेगी।

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. यदि उपरोक्त स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावे। दोहरे व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन नियम, 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
6. ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यों का सम्पादन किया जावेगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेगे।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
8. शेष देय राशि जिला परिषद की मांग अनुसार आयुक्तालय को उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर जारी की जावेगी।
9. कार्य स्थल पर जनजाति विकास विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावे।

(प्रज्ञा कपलरमानी):A.S.

आयुक्त

दिनांक-

क्रमांक- एफ 5(प)(20)एसीटीएडी/माडा/SCA/सवाई माधोपुर/प्रस्ताव/2020-21/
प्रतिलिपी -

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर।
4. जिला सलाहकार, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र), सवाई माधोपुर को राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति संख्या 68/2020-21 से राशि रु. 48.00 लाख हस्तांतरित करावे।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मलारना डूंगर, जिला- सवाई माधोपुर।
6. निदेशक, मोनिटरिंग, लेखाकार (माडा), माडा मॉनिटरिंग, कम्प्यूटर शाखा, अभियांत्रिकी शाखा, कार्यालय हाजा।
7. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)